कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक / एफ–3 / 86 / 2017 / 10–11 / 12 / 3447 भोपाल, दिनांक 02-07-24

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग दमोह,
जिला दमोह, मध्यप्रदेश।

विषयः–जिला दमोह के अंतर्गत पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.3 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / GEN–603 / 5279, दिनांक 28.06.2024

2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का परिपत्र क्र. FC-11/43/2021-FC दि. 19.05.2024

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्रमांक–1 से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म0प्र0 भोपाल द्वारा प्रकरण में तैयार वन्यप्राणी प्रबंधन योजना राशि रूपये 75.64 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रकरण मे आपके द्वारा पूर्व में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना हेतु राशि रूपये 42,65,000 / – कैम्पा मद में आनलाईन जमा की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार लेख है कि मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) द्वारा स्वीकृत वन्यप्राणी योजना अनुसार अंतर की राशि रूपये 32,99,000 / –आनलाईन कैम्पा मद मे जमा की जावें। साथ ही यदि भविष्य में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना पुनरीक्षित होती है तो अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक विभाग वचनबद्व है, वचन पत्र प्रेषित किया जावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

01.07.24
(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 86 / 2017 / 10–11 / 12 / 3448 भोपाल, दिनांक 02-07-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म0प्र0 वन भवन, भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सा0 वन मण्डल दमोह, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01.07.24
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2674206

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / GEN- 603 / 5279 भोपाल, दिनांक 28-6-2024

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन विभाग संभाग, दमोह

विषय :– जिला दमोह के अतर्गत पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.3 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश की टीप क्रमांक / 314 दिनांक 30.05.2024 एवं वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह का पत्र क्रमांक / मा.चि / 2894 दिनांक 07.06.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला दमोह के अतर्गत पारना लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 55.3 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने संबंधी प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन) नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक / 8–39 / 2018–एफसी दिनांक 19.05.2024 के बिन्दु क्रमांक–iii के पालन में प्रस्तावित स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले फ्लोरा–फॉना के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु डॉ. रामगोपाल सोनी, पूर्व क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी, म.प्र. सेवा निवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. से 05 वर्षो के लिए रूपये 42,65,000/– की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कराकर, संदर्भित टीप से अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 4477 दिनांक 31.05.2024 से वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह को परीक्षण एवं संशोधन हेतु प्रेषित की गई थी। जिसे वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 07.06.2024 से परीक्षण उपरांत 05 वर्षों के लिए रूपये 75.64 लाख का प्रावधान कर संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण मे वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह द्वारा उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना में वनमण्डल दमोह हेतु 05 वर्षो के लिए प्रावधानित कार्यो एवं राशि रूपये 62.64 लाख की अनुशंसा की गई है तथा इस राशि का Miscellaneous Administration and Monitoring expenses (@2% of the total costs) हेतु राशि रूपये 1.24 लाख एवं Escalation cost and unforeseen expenditure @20% of total costs) राशि रूपये 12.40 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 75.64 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके मुख्य घटक एवं प्रावधानित राशि निम्नानुसार है:–

Year wise Plan and Budget (Rs. In Lakhs)
Funds will be submitted to Division Forest Officer Damoh (M.P.)

S.No.	Component/year	I	II	III	IV	V	Total	Implementation Agency
1	भू संरक्षण हेतु	2 हे0 (2 लाख)	2 हे0 (2 लाख)	2 हे0 (2 लाख)	2 हे0 (2 लाख)	2 हे0 (2 लाख)	10 लाख	वन विभाग
2	पेयजल हेतु							
	डाइक निर्माण	1 नग (5 लाख)	1 नग (5 लाख)	–	–	–	10 लाख	वन विभाग
	नाला बंधान	1 नग (0.20 लाख)	1 नग (0.20 लाख)	1 नग (0.20 लाख)	1 नग (0.20 लाख)	1 नग (0.20 लाख)	1 लाख	वन विभाग
	झिरिया निर्माण	1 नग (0.20 लाख)	1 नग (0.20 लाख)	1 नग (0.20 लाख)	1 नग (0.20 लाख)	1 नग (0.20 लाख)	1 लाख	वन विभाग
	सौर्य ऊर्जा नलकूप एक कक्ष और सासर सहित	1 नग (5 लाख)	–	1 नग (5 लाख)	–	–	10 लाख	वन विभाग
3	सुरक्षा हेतु							
	वॉच टावर कम सुरक्षा श्रमिक आश्रय	1 नग (7.50 लाख)	1 नग (7.50 लाख)	–	–	–	15 लाख	वन विभाग
4	प्रचार प्रसार एवं जागरूकता हेतु							
	प्रवेश हेतु एंट्री पॉइंट एक्टिविटी सामुदायिक भवन	1 नग (10 लाख)					10 लाख	वन विभाग
	प्रचार प्रसार, वन भ्रमण मिश्रित व्यय	1 लाख	1 लाख	1 लाख	1 लाख	1 लाख	5 लाख	वन विभाग
						योग	62 लाख	
5	Miscellaneous Administration and Monitoring expenses (@2% of the total costs)						1.24 लाख	
6	Escalation cost and unforeseen expenditure @20% of total costs)						12.40 लाख	
						कुल योग	75.64 लाख	

वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सामान्य वनमण्डल दमोह द्वारा अनुशंसित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के पृष्ठ क्रमांक 08 से 30 में उल्लेखित फ्लोरा–फौना की सूची एवं उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन हेतु पृष्ठ क्रमांक 37 से 38 पर दर्शाये गये कार्यो के लिए रूपये 75.64 लाख की 05 वर्षो की वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त एवं एक प्रति वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह को उपलब्ध करायें।

प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत समय–सीमा में वन्यप्राणी संरक्षण योजना में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले प्रावधानित कार्यो हेतु योजना में प्रावधानित राशि रूपये 75.64 लाख (रूपये पच्छत्तर लाख चौसठ हजार मात्र) एक मुश्त कैम्पा मद में जमा करायी जाकर वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आपके द्वारा कराये जाने वाले कार्यो को समय–सीमा में पूर्ण करायेगें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

पृ0 क्रमांक / व.प्रा. / वतअ.–1 / GEN-603 / 5280 भोपाल, दिनांक 28-6-2024

प्रतिलिपि :–

1. सहायक वन महानिरीक्षक, में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिविजन), इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली–110003 के पत्र क्रमांक / 8–39 / 2018–एफसी दिनांक 19.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर उनकी संदर्भित टीप के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आपके स्तर से जारी अंतिम अनुमति में अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रूपये 75.64 लाख आवेदक संस्था द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह को एक मुश्त उपलब्ध कराने एवं कार्य समय–सीमा में पूर्ण कराये जाने की शर्त अधिरोपित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर की ओर अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह की ओर उक्त अनुमोदित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण में भारत सरकार / राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति के उपरांत माइन प्रारंभ होने के पूर्व वन्यप्राणी संरक्षण योजना में वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए प्रावधानित राशि एक मुश्त आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रावधानित कार्यों का समय सीमा में क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें तथा तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

D:\DM Sec\DM Letter-2024.docx